

बिहार सरकार  
(सामान्य प्रशासन विभाग)


॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक- 15.11.19

संख्या-18/विविध-06-08/2019 ..... 15444 ...../राज्य प्रशिक्षण नीति से संबंधित विभागीय संकल्प  
ज्ञापांक-1239 दिनांक-14.11.2011 के साथ संलग्न राज्य प्रशिक्षण नीति की कंडिका-IX में उपबंधित प्रावधान  
के आलोक में राज्य प्रशिक्षण परिषद् का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

- |  |            |
|--|------------|
| 1. मुख्य सचिव, बिहार -                                       | अध्यक्ष    |
| 2. विकास आयुक्त -  | सदस्य      |
| 3. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग - | सदस्य      |
| 4. प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग -                           | सदस्य      |
| 5. महानिदेशक, बिपार्ड -                                      | सदस्य सचिव |
| 6. निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना -               | सदस्य      |
| 7. निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान, पटना -                     | सदस्य      |

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(उदय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-18/विविध-06-08/2019 ..... 15444 ...../ पटना, दिनांक- 15.11.19

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ  
प्रेषित(द्वारा-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल  
सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/महानिदेशक, बिपार्ड/राज्य अभिलेखागार,  
पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन  
सोसायटी, पटना/चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना/विकास प्रबंधन संस्थान, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य  
प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ  
उपलब्ध कराने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के अपर सचिव



Handwritten text in a script, possibly Indic, with a long horizontal line extending to the right.